प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 81/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

कैलाश चन्द्र रामावत पुत्र राधाकिशन रामावत पताः 869, निचली पोल, मेनार वाया खेरोदा, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 22.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अंपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/81/25/512–13 दिनांक 23.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल प्रत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांकः प./41/2/प्र.अ.स./61/25/406–07 दिनांक 15.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसमें प्रार्थी द्वारा 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना जरिये पत्रांक क्रमशः 158 दिनांक 01.03.2025 एवं पत्रांक 257 दिनांक 28.03.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 4 का संबंध अति. जिला पुलिस अधीक्षक, खेरवाड़ा से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 79–80 दिनांक 27.01.2025 से उक्त कार्यालय को अंतरित किया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया गया। कार्यालय में उपलब्ध समस्त सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को सूचना/जवाब प्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-06-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर